संख्या–सू0से0–02/43–2–2010

प्रेषक,

अनीता सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष,उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 18 जनवरी, 2010

विषयः **उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में विचाराधीन वादों की पैरवी किया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में आया है कि राज्य सूचना आयोग में विचाराधीन वादों की पैरवी हेतु मा0 आयोग के समक्ष प्रायः जन सूचना अधिकारी अथवा प्रथम अपीलीय अधिकारी के स्थान पर विभागों के कनिष्ठतम कर्मचारी उपस्थित होते हैं, जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग (अपील प्रकिया) नियमावली, 2006 के प्राविधानों के अनुसार उचित नहीं है।

2– अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने विभाग तथा अपने विभाग के अधीन आने वाली विभिन्न इकाईयों के सम्बन्धित लोक प्राधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि मा0 राज्य सूचना आयोग में विचाराधीन अपने से सम्बन्धित वादों की पैरवी हेतु मा0 आयोग के समक्ष जन सूचना अधिकारी अथवा प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिनकी सुनवाई की अपेक्षा मा0 आयोग द्वारा की गयी है, से निम्न स्तर के अधिकारी उपस्थित न हों।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(अनीता सिंह)
सचिव।

अनीता सिंह
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–
1– प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2– सचिव, राज्य सूचना आयोग, छठा तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अनीता सिंह)
सचिव।